

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमोंक: सामान्य/09/2025

दिनांक: 04/06/2025

आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना कमोंक प.1(2) न्याय/2023 दिनांक 02.06.2025 द्वारा निम्नलिखित नवसृजित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है एवं यह निर्देश देता है कि उनको उक्त संहिता के अधीन या तत्सम प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियाँ होंगी:-

| क्र.सं. | न्यायालय का नाम                                               | जिले का नाम     | बैठक का स्थान |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.      | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलौदी    | फलौदी           | फलौदी         |
| 2.      | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना  | डीडवाना-कुचामन  | डीडवाना       |
| 3.      | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल    | खैरथल-तिजारा    | खैरथल         |
| 4.      | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर   | ब्यावर          | ब्यावर        |
| 5.      | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा  | बालोतरा         | बालोतरा       |
| 6.      | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग      | डीग             | डीग           |
| 7.      | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली | कोटपूतली-बहरोड़ | कोटपूतली      |
| 8.      | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूमबर   | सलूमबर          | सलूमबर        |

आदेशानुसार

  
(चंचल मिश्रा)

रजिस्ट्रार जनरल,

राजस्थान उच्च न्यायालय,

जोधपुर।

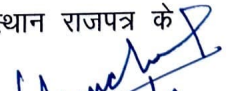
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमोंक - सामान्य/II/03/2025/ 980

दिनांक:-04/06/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।

  
रजिस्ट्रार जनरल